



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर: "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)  
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554  
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3<sup>rd</sup> Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554  
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-486/NH-53/Water/2025-26/ 1434

Date: 04.08.2025

### Invitation of Public Comments

**Sub:** Four laning of CG/MH Border to Waingaga Bridge section from km 405.000 to km 485.000 of NH-53 under BOT project in the State of Maharashtra -**Proposal for laying water supply pipe line along and across the road on National Highway NH-53 at Kohmara, Tal. Sadak Arjuni, Dist. Gondia -Reg.**

**Ref.:**

1. PD, PIU Nagpur letter no. 1812 dated 28.07.2025.
2. EE, Rural Water Supply Div. Zilla Parishad Gondia letter no. 16011 dated 05.06.2025.

It is to inform all concerned that EE, Rural Water Supply Div. Zilla Parishad Gondia letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU, Nagpur has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that EE, Rural Water Supply Div. Zilla Parishad Gondia for subject section is as follows:

- Laying from km 437.140 to km 437.500
- Crossing at km 437.140.

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public are hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 28.01.2016 due to above utility on the subject stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments / objections will be accepted.

**The Regional Officer,**  
Regional Office - Nagpur  
National Highways Authority of India,  
"Narang Towers", 3<sup>rd</sup> Floor,  
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),  
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra  
Tel : 0712-2520091 Email : [ronagpur@nhai.org](mailto:ronagpur@nhai.org)

*[Signature]*  
04/8/25

(Nirmal M. Zade)

General Manager (Tech.)

**Copy to:**

1. Web Admin., NHAI, HQ, New Delhi- for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)  
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554  
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3<sup>rd</sup> Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554  
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचएआई/आरओ/एनएजी/यूटी-486/एनएच-53/जल/2025-26/ 1434

दिनांक: 04.08.2025

### सार्वजनिक टिप्पणियों का निमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में बीओटी परियोजना के तहत एनएच-53 के किमी 405.000 से किमी 485.000 तक सीजी/एमएच सीमा से वैनगा ब्रिज खंड को चार लेन का बनाना - कोहरामा, ताल सड़क अर्जुनी, जिला गोंदिया में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-53 पर सड़क के साथ और उस पार जलापूर्ति पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव - पंजीकरण।

संदर्भ:

1. पी.डी., पी.आई.यू. नागपुर पत्र क्रमांक 1812 दिनांक 28.07.2025.
2. ईई, ग्रामीण जलापूर्ति प्रभाग जिला परिषद गोंदिया पत्र क्रमांक 16011 दिनांक 05.06.2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि ईई, ग्रामीण जलापूर्ति प्रभाग, जिला परिषद गोंदिया ने संदर्भ (2) के तहत पत्र के तहत विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू, नागपुर ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. ग्रामीण जलापूर्ति प्रभाग, जिला परिषद गोंदिया के कार्यकारी अभियंता द्वारा विषय खंड के लिए प्रस्तावित संरक्षण निम्नानुसार है:

- किमी 437.140 से किमी 437.500 तक बिछाना
- किमी 437.140 पर क्रॉसिंग।

3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एस एंड आर (आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपत्तियाँ (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, इस विषय पर उपरोक्त उपयोगिता के कारण मंत्रालय के दिनांक 28.01.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ जनता की टिप्पणियाँ जागी होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं। नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : [ronagpur@nhai.org](mailto:ronagpur@nhai.org)

(निर्मल एम. जादे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

1. वेब एडमिन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली- एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [web-admin@nhai.org]
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [mansoor@nic.in]